राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ॥—खण्ड ३—उप-खण्ड (४) PART II — Section 3 — Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

1279] No. 1279]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2008/भाद्र 21, 1930 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2008/BHADRA 21, 1930

वित्त मंत्रालय

(राअस्य विभाग)

अस्टेश

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2008

स्टाप्प्स

का,आ, 2789(अ),---भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, दिनांक 28 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र, असाधारण, माग Ⅱ, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के दिनांक 28 जनवरी, 2004 के साविधिक आदेश 130(अ) में एतदहारा निम्नसिखित संशोधन करती है नागत: :---

- 2. उक्त आदेश की सारणी में,---
- (क) अनुच्छेद 27 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया आएगा नामतः :---

स्पष्टीकरण="क्षिकेन्दर" शब्द में कोई भी उससे संलग्न भ्याज कपन शामिल होता है परन्तु ऐसे कूपन की राशि को शुल्क का आकलन करते समय शामिल नहीं किया जाएगः ।

भूट

किसी पंजीकृत बंधक नामे की शर्तों के अनुसार किसी निगमित कम्पनी या निगमित इकाई द्वारा जारी डिवेन्चर के अनुसार जो उसके तहत जारी होने वाले डिबेन्चर की पूर्ण सिश के लिए विधिवत मुल्यांकित है, द्वारा कंपनी या निकाय डिवेन्वर कारकों के हित में ट्रस्टियों के पास उनकी सम्पत्ति पूर्णतः या आंशिक रूप से रख कर उधार लेता है :

बशर्ते कि इस प्रकार जारी डिबेन्चरों को उक्त बंधक नामें के अनुसार जारी माना गया हो ।"

"27. विपणन योग्य प्रतिमृति होने के दिवेन्चर के अंकित मुख्य का कारण दिकेन्बर (चाहे बंधक दिकेन्बर 0.05 प्रतिशत वार्षिक, यशर्ते कि वह 0.25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा या 25 लाख

(ख) सुपूर्वेगी द्वारा अन्तरणीय

(क) पृष्ठांकन द्वारा वा अन्तरण के रुपये इनमें से जो भी कम है के अध्यधीन हो ।

(ख) अनुच्छेद 49 के खंड (ख) में तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---

हो या नहीं)—

पृथक लिखत द्वारा

"49. प्रापिसरी नोट [धारा 2(22) द्वारा यथापरिभाषित]—

(ख) मांग के अन्यथा जहां यह भुगतान योग्य है

मांग से अन्यथा भुगतान योग्य समान राशि के लिए चिनिमय पत्र (अनुसूची 1 की संख्या 13) यथा प्रयोज्य शुल्क का पाँचवाँ भाग ।''

> [फा. सं. 33/7/2006-एस टी] अरविंद कुमार, अवर सचिव

टिप्पणी :—सुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 28 जनवरी, 2004 की सं. का. आ. 130(अ) दिनांक 28 जनवरी, 2004 के देशत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) ORDER

New Delhi, the 12th September, 2008

STAMPS

S.O. 2189(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 28th January, 2004, vide number S.O. 130 (E), dated the 28th January, 2004, namely:—

- 2. In the said Order in the table, -
 - (a) for article 27 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely :---

"27. Debenture (whether a mortgage debenture or not), being a marketable security transferable— (a) by endorsement or by a separate instrument of transfer (b) by delivery 0.05% per year of the face value of the debenture, subject to the maximum of 0.25% or rupees twenty five lakhs whichever is lower.

Explanation—The term "Debenture" includes any interest coupons attached thereto but the amount of such coupons shall not be included in estimating the duty.

Exemption

A debenture issued by an incorporated company or other body corporate in terms of a registered mortgage-deed, duly stamped in respect of the full amount of debentures to be issued thereunder, whereby the company or body borrowing makes over, in whole or in part, their property to trustees for the benefit of the debentures holders:

Provided that the debentures so issued are expressed to be issued in terms of the said mortgage-deed."

(b) in article 49 for clause (b) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"49. PROMISSORY NOTE [as defined by Section 2(22)]—

(b) where payable otherwise than on demand.

One-fifth of the duty as applicable to Bill of Exchange (No.13 of Schedule 1) for the same amount payable otherwise on demand."

[F. No. 33/7/2006-\$T]

ARVIND KUMAR, Under Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th January, 2004 vide number S.O. 130(E), dated the 28th January, 2004.